माननीय अशोक भान और एन. क. सोढ़ी, जे जे. के समक्ष

हरियाणा राज्य-याचिकाकर्ता।
बनाम
मेसर्स फ्री व्हील (इंडिया) लिमिटेड, फ़रीदाबाद, - प्रतिवादी।

1986 का बिक्री कर मामला संख्या 16

5 दिसंबर, 1995

हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, *1973 —* धारा *42 (2) —* परिसीमा अधिनियम, *1963 —* धारा *5 —* नागरिक प्रक्रिया संहिता, *1908 —धारा 151* और आदेश *23,* नियम *1 —* देरी की माफी - तीन मूल्यांकन वर्षों के लिए संयुक्त याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना गया - उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल को मूल्यांकन वर्ष *1970-71* के संबंध में कानून के प्रश्न को संदर्भित करने का निर्देश दिया - मूल्यांकन वर्ष *1971-72* और *1972-73* मे देरी की माफी के लिए आवेदन दायर किया गया - याचिकाकर्ता की ओर से न तो दोषी लापरवाही और न ही दुर्भावना दिखाई गई - देरी को माफ कर दिया गया और ट्रिब्यूनल ने मूल्यांकन वर्ष *1971-72* और *1972-73* में उत्पन्न समान प्रश्न को उच्च न्यायालय की राय के लिए संदर्भित करने का निर्देश दिया।

माना गया कि, याचिकाकर्ता ने, कुछ गलत सलाह के तहत, तीनों मूल्यांकन वर्षों के लिए एक संयुक्त याचिका दायर की और *25* जुलाई, *1986* को गलती को इंगित करने पर, *1986* का *1* एसटीसी, *15* अक्टूबर *1986* के निपटान से पहले *16* सितंबर, *1986* को वर्तमान याचिका दायर की। इस न्यायालय ने आदेश दिया था कि *1986* का एस.टी.सी. *1* केवल मूल्यांकन वर्ष *1970-71* के लिए दायर किया गया माना जाएगा और बाद के मूल्यांकन वर्षों के बारे में कुछ भी नहीं देखा गया है। देरी से याचिका दायर करने में याचिकाकर्ता की ओर से कोई दोषी लापरवाही या दुर्भावना नहीं थी। देरी का सहारा लेकर याचिकाकर्ता को कोई लाभ या फायदा नहीं हुआ। देरी को माफ करने से इनकार करने से, जैसा कि मौजूदा मामले में है, परिणामस्वरूप एक सराहनीय मामला सामने ही फेंक दिया जाएगा और न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा। यह न्यायालय पहले ही *1986* का एस.टी.सी.*1,* में समान तथ्यों और परिस्थितियों पर ट्रिब्यूनल को निर्देश दे चुका है, ट्रिब्यूनल के आदेश से उत्पन्न होने वाले कानून के प्रश्न को इस न्यायालय में राय के लिए संदर्भित करने के लिए । याचिकाकर्ता को दो बाद के मूल्यांकन वर्षों *1971-72* और *1972-73* के लिए समान तथ्यों और परिस्थितियों पर समान राहत देने से इनकार करने के लिए, परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होगी।

एस. एस. खेतरपाल,याचिकाकर्ता के लिए एडवोकेट

बी. एस. गुप्ता, सीनियर एडवोकेट के साथ संजय बंसल, अधिवक्ता

उत्तरदाता.

निर्णय

अशोक भान, जे.

(1) यह आदेश निर्धारण वर्ष *1971-72* और *1972-73* से संबंधित *1986* के बिक्री कर मामले *16* और *17* दोनों का निपटान करेगा, क्योंकि इन दोनों मामलों में कानून और तथ्य के सामान्य प्रश्न शामिल हैं।

(2) तथ्य *1986* के एस.टी.सी. *16* से लिए गए हैं।

(3) बिक्री कर न्यायाधिकरण, हरियाणा *(*इसके बाद 'न्यायाधिकरण' के रूप में संदर्भित*)* ने अलग-अलग आदेश पारित करके तीन मूल्यांकन वर्षों *1970-71, 1971-72* और *1972-73* से संबंधित तीन अपीलों का फैसला किया था। राज्य हरियाणा सरकार *(*इसके बाद 'याचिकाकर्ता' के रूप में संदर्भित*)* ने हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा *42(1)* के तहत तीन याचिकाएं दायर कीं। *1973 (*इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित*)*, ट्रिब्यूनल के आदेशों से उत्पन्न होने वाले कानून के कुछ प्रश्नों को राय के लिए इस न्यायालय में भेजने के लिए इन याचिकाओं को *15* अक्टूबर, *1985* को खारिज कर दिया गया। तीन याचिकाओं में पारित आदेशों की प्रतियां याचिकाकर्ता को *20* नवंबर, *1985* को प्रदान की गईं। अधिनियम की धारा *42(2)* के तहत तीन अलग-अलग याचिकाएं दायर करने के बजाय, एक परमादेश जारी करने के लिए ट्रिब्यूनल को अपनी राय के लिए उच्च न्यायालय का संदर्भ देने का निर्देश देते हुए, याचिकाकर्ता ने एक संयुक्त याचिका यानी *1986* का एस.टी.सी. *1* दायर की , तीनों मूल्यांकन वर्षों के लिए अर्थात ** 1970-71, 1971-72* और *1972-73* ।

(4) प्रतिवादी-निर्धारिती ने *25* जुलाई, *1986* को एक आवेदन दायर किया, जिसमें आपत्ति ली गई कि सभी तीन मूल्यांकन वर्षों के लिए एक संयुक्त याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी और याचिकाकर्ता को तीन मूल्यांकन वर्षों के लिए तीन अलग-अलग याचिकाएं दायर करनी चाहिए थीं।

(5) 1986 के एस.टी.सी. *1* के अंतिम निपटान से पहले , *16* सितम्बर *1986* को याचिकाकर्ता ने वर्तमान एस.टी.सी. संख्या *16* और *17* , दोनों *1986*, दायर की, मूल्यांकन वर्ष *1971-72* और *1972-73* के लिए। मूल्यांकन वर्ष *1971-72* और *1972-73* का दावा करते हुए, कानून के उन्हीं प्रश्नों का दावा करते हैं जिनका दावा *1986* का एस.टी.सी. *1* में किया गया था।अधिनियम की धारा *42* की उपधारा *(2)* के तहत देर से याचिका दायर करने के लिए देरी की माफी के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा *151* के साथ पठित परिसीमा अधिनियम की धारा *5* के तहत एक आवेदन भी दायर किया गया था। आवेदन में दी गई देरी को माफ करने का कारण यह है कि याचिकाकर्ता ने राज्य वकील की सलाह पर काम किया था और संयुक्त याचिका सद्भावना से दायर की थी।यह प्रार्थना की गई थी कि मूल्यांकन वर्ष *1971-72* और *1972-73* के लिए याचिका दायर करने में हुई देरी को प्रक्रियात्मक चूक के कारण माफ कर दिया जाए।

(6) 1986 का एस.टी.सी. *1, 15* अक्टूबर *1986* को सुनवाई के लिए लिया गया था। प्रतिवादी निर्धारिती द्वारा उठाई गई आपत्ति को माना गया था कि एक संयुक्त याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी । तदनुसार, यह माना गया कि याचिका *(1986* का एस.टी.सी. *1)* केवल आकलन वर्ष *1970-71* के संबंध में दायर की गई मानी जाएगी।

(7) 986 का एस.टी.सी*1*, निर्धारण वर्ष *1970-71* से संबंधित, इस न्यायालय की राय के लिए मामले के बयान के साथ कानून के निम्नलिखित प्रश्न को संदर्भित करने के लिए ट्रिब्यूनल को एक निर्देश के साथ निपटाया गया था*: -*

*"*क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, ट्रिब्यूनल ने हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, *1973* की धारा *40* के तहत पारित अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त- *II* के *12* दिसंबर, *1983* के आदेश को रद्द करने में सही था*?"*

ट्रिब्यूनल ने कानून के उपरोक्त प्रश्न को मामले के विवरण के साथ भेजा है, जिसे अब *1988* का जी.एस.टी.आर.*14.* के रूप में क्रमांकित किया गया है।

(8) प्रतिवादी-निर्धारिती की ओर से उपस्थित वकील ने तर्क दिया कि *1986* के एस.टी.सी. *1* को मूल्यांकन वर्ष *1970-71* के लिए लिया गया था और मूल्यांकन वर्ष *1971-72* और *1972-73* के लिए याचिकाओं को वापस ले लिया गया माना जाएगा। आदेश *23* नियम *1,* सिविल प्रक्रिया संहिता पर भरोसा करते हुए, प्रतिवादी-निर्धारिती के वकील ने तर्क दिया कि एक बार याचिकाकर्ता कार्रवाई का कारण वापस ले लेता है या छोड़ देता है, तो उसे कार्रवाई के उसी कारण पर दूसरी याचिका दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(9) ऊपर बताए गए तथ्यों से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने मूल्यांकन वर्ष *1971-72* और *1972-73* के लिए अपनी याचिकाओं को न तो छोड़ा या वापस लिया। आदेश *23* नियम *1,* सिविल प्रक्रिया संहिता, इन परिस्थितियों में, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होगी।

(10) इसके बाद, प्रतिवादी-निर्धारिती के वकील ने तर्क दिया कि देरी को माफ करने का कोई उचित कारण नहीं था क्योंकि याचिकाकर्ता ने उस वकील के नाम का खुलासा नहीं किया था जिसने उसे तीन अलग-अलग याचिकाएं दायर करने के बजाय एक संयुक्त याचिका दायर करने की सलाह दी थी। तीन मूल्यांकन वर्ष. यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता की ओर से गलती वास्तविक नहीं थी और इसलिए, देरी को माफ नहीं किया जाना चाहिए।प्रतिवादी-निर्धारिती के वकील द्वारा उठाया गया आगे का तर्क यह है कि याचिकाकर्ता ने *25* जुलाई, *1986* से *16* सितंबर, *1986* के बीच याचिका देर से दाखिल करने में देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, यानी एक संयुक्त याचिका के संज्ञान में लाए जाने के बाद, वास्तविक फाइलिंग तक, रखरखाव योग्य नहीं था।

(11) यह न्यायालय ने एस.टी.सी. *1986* में पहले ही ट्रिब्यूनल को निर्देश दिया था कि वह ट्रिब्यूनल के आदेश से उठाए गए कानून के प्रश्न को इन मामलों में प्रचलित समान तथ्यों और परिस्थितियों पर संदर्भित करे। याचिकाकर्ता ने, कुछ गलत सलाह के तहत, तीनों मूल्यांकन वर्षों के लिए एक संयुक्त याचिका दायर की और *25* जुलाई, *1986* को गलती को इंगित करने पर, *1986* का एस.टी.सी *1* के *15* अक्टूबर *1986* को निपटान से पहले *16* सितंबर, *1986* को वर्तमान याचिका दायर की। इस कोर्ट ने आदेश दिया था कि *1986* का एस.टी.सी *1* केवल मूल्यांकन वर्ष *1970-71* के लिए दायर किया गया माना जाएगा और बाद के मूल्यांकन वर्षों के बारे में कुछ भी नहीं देखा गया है। देरी से याचिका दायर करने में याचिकाकर्ता की ओर से कोई दोषी लापरवाही या दुर्भावना नहीं थी। देरी का सहारा लेकर याचिकाकर्ता को कोई लाभ या फायदा नहीं हुआ। जैसा कि मामला है, देरी को माफ करने से इनकार करने का नतीजा यह होगा कि एक सराहनीय मामला सामने ही फेंक दिया जाएगा और न्याय का मुद्दा हार जाएगा। यह न्यायालय पहले ही *1986 का एस.टी.सी 1* में समान तथ्यों और परिस्थितियों पर ट्रिब्यूनल को निर्देश दे चुका है। ट्रिब्यूनल के आदेश से उत्पन्न होने वाले कानून के प्रश्न को इस न्यायालय की राय के लिए संदर्भित करने के लिए। समान तथ्यों और परिस्थितियों पर याचिकाकर्ता को दो बाद के मूल्यांकन वर्षों *1971-72* और *1972-73* के लिए समान राहत से इनकार करने से इस मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में न्याय की विफलता होगी।

(12) कलेक्टर, भूमि अधिग्रहण, अनंतनाग और अन्य बनाम एमएसटी कातिजी और अन्य *(1)* में,सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों ने, राज्य सरकार द्वारा किए गए एक आवेदन में देरी की माफी पर विचार करते हुए, अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर दिया और अन्य बातों के साथ-साथ, इस प्रकार माना*:* -

"1. xx xx xx xx xx

2. xx xx xx xx xx

3. "हर दिन की देरी की व्याख्या की जानी चाहिए" का मतलब यह नहीं है कि पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। हर घंटे की देरी, हर सेकंड की देरी क्यों नहीं? सिद्धांत को तर्कसंगत सामान्य ज्ञान व्यावहारिक तरीके से लागू किया जाना चाहिए।

4. जब पर्याप्त न्याय और तकनीकी विचार एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तो पर्याप्त न्याय के मुद्दे को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि दूसरा पक्ष गैर-जानबूझकर किए गए विलंब के कारण किए जा रहे अन्याय में निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।

5. xx xx xx xx xx

6. यह समझना चाहिए कि न्यायपालिका का सम्मान तकनीकी आधार पर अन्याय को वैध बनाने की उसकी शक्ति के कारण नहीं किया जाता है, बल्कि इसलिए किया जाता है क्योंकि वह अन्याय को दूर करने में सक्षम है और उससे ऐसा करने की अपेक्षा की जाती है।

इस परिप्रेक्ष्य से न्याय-उन्मुख दृष्टिकोण बनाते हुए, अपील की स्थापना में देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण थे। तथ्य यह है कि यह 'राज्य' था जो माफ़ी मांग रहा था न कि कोई निजी पार्टी, पूरी तरह अप्रासंगिक थी। कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत मांग करता है कि एक वादी के रूप में राज्य सहित सभी वादियों के साथ समान व्यवहार किया जाए और कानून को एक समान तरीके से प्रशासित किया जाए।जब 'राज्य' ही आवेदक है और देरी की माफी के लिए प्रार्थना कर रहा है तो सौतेला व्यवहार करने का कोई औचित्य नहीं है।वास्तव में अनुभव से पता चलता है कि एक अवैयक्तिक मशीनरी के कारण (मामले का कोई भी प्रभारी व्यक्ति उस फैसले से सीधे प्रभावित या आहत नहीं होता है जिसे अपील के अधीन किया जाना है) और विरासत में मिली नौकरशाही कार्यप्रणाली नोट बनाने, फाइल आगे बढ़ाने से प्रेरित है , और हिरन लोकाचार से गुजरते हुए, इसकी ओर से देरी को समझना कम कठिन है, हालांकि इसे स्वीकार करना अधिक कठिन है। किसी भी स्थिति में, राज्य जो समुदाय के सामूहिक कारण का प्रतिनिधित्व करता है, मुकदमेबाजी गैर-ग्राटा स्थिति का हकदार नहीं है। इसलिए न्यायालयों को "पर्याप्त कारण" अभिव्यक्ति की व्याख्या के दौरान प्रावधान की भावना और दर्शन से अवगत कराना होगा। इसलिए, समान दृष्टिकोण को अंत तक मौजूद मामलों पर लागू करने में भी प्रमाणित किया जाना चाहिए ताकि योग्यता के आधार पर समान न्याय किया जा सके, न कि उस दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जाए जो योग्यता के आधार पर किसी निर्णय को रद्द कर देता है। वर्तमान अपील को जन्म देने वाले मामले के तथ्यों की ओर मुड़ते हुए, हम संतुष्ट हैं कि देरी के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा उसके समक्ष अपील को समयबाधित मानकर खारिज करने के आदेश को रद्द किया जाता है। विलंब क्षमा किया जाता है और मामला हाई कोर्ट में भेज दिया गया है। उच्च न्यायालय अब दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद गुण-दोष के आधार पर अपील का निपटारा करेगा।"

(13) उनके आधिपत्य द्वारा की गई टिप्पणियाँ वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर उपयुक्त रूप से लागू होती हैं। पक्षों के बीच पर्याप्त न्याय करने के लिए, यह न्याय के हित में होगा कि याचिकाएं दायर करने में हुई देरी को माफ किया जाए और न्यायाधिकरण को कानून के उसी प्रश्न को संदर्भित करने का निर्देश जारी किया जाए जिसे इस न्यायालय ने *1986 का एस.टी.सी 1*, पिछले मूल्यांकन वर्ष से संबंधित में आदेश दिया था।

(14) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह माना जाता है कि ट्रिब्यूनल के आदेश से कानून का निम्नलिखित प्रश्न उठता है: -

“क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, ट्रिब्यूनल हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम,1973 की धारा 40 के तहत पारित अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त-द्वितीय दिनांक 12 दिसंबर, 1983 के आदेश को रद्द करने में सही था?”

(15) तदनुसार, ट्रिब्यूनल को आज से तीन महीने की अवधि के भीतर, इस न्यायालय की राय के लिए मामले के बयान के साथ कानून के उपरोक्त प्रश्न को संदर्भित करने का निर्देश दिया जाता है। ट्रिब्यूनल से संदर्भ प्राप्त होने पर, उसे 1988 के जी.एस.टी.आर. 14. के साथ रखा जाएगा।

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

रजत कुमार कनौजिया

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

फ़रीदाबाद,हरियाणा